

(आपके को प्रस्तावित, अधिसूचना, 8 जनवरी, 2014 दिनांक 19 1988 तक मन्त्रालय, को
लिखा है, जिसे प्रतीक, 8 जनवरी, 2014 दिनांक 19 1988 तक मन्त्रालय, को देना है)

केन्द्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
Central Institute of Open Schooling Uttar Pradesh, Lucknow

(शुष्क/पूरक शिक्षा योजना)

(कार्यालय एवं सूचनाार्थ भवन 105/224 फूलबाग, हुसैनगंज, लखनऊ 22600)



संख्या C.I.O.S. U.P./Recog/Admin 2304/015

दिनांक- 23/04/2015

सेवा में

रामचन्द्र वेवले
मुख्य श्री गजाजगन् वेवले
प्रबन्धक
एम्स सीनियर सेकण्डरी स्कूल
बैनकर बस्ती, धायरी, पुणे-411041

विषय: महाराष्ट्र राज्य का समन्वयक (कोर्डिनेटर) नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

श्रीमान जी,

आपका पत्र पत्रांक संख्या ए.एस.एस./491/014 दिनांक 22.07.2014 को संस्थान कार्यालय को प्राप्त हुआ जिसमें महाराष्ट्र राज्य का समन्वयक (कोर्डिनेटर) पद पर नियुक्त हेतु आवेदन किया है आपका पत्र मान्यता की उप समिती में रखा गया आप संस्थान का समन्वयक केन्द्र बनाने हेतु केन्द्र को संघालक है इसलिये आपके पत्र पर विचार किया गया और निर्णय लिया गया है कि आपको अग्रिम तीन वर्षों के लिए निम्न शर्तों पर महाराष्ट्र राज्य का समन्वयक (कोर्डिनेटर) पद पर नियुक्त किया जाता है।

- 1- आप अपना समन्वयक कार्यालय अपने एम्स सीनियर सेकण्डरी स्कूल बैनकर बस्ती, धायरी, पुणे-411041 में रखेंगे।
 - 2- कार्यालय की सूचना एक सप्ताह में संस्थान कार्यालय लखनऊ को देंगे।
 - 3- कार्यालय की समस्त व्यवस्था स्वयं करेंगे।
 - 4- संस्थान कि सम्बन्धित समस्त सामग्री सम्बन्धित विद्यालयों को समय से पहुँचाये (पिटरल करेंगे)।
 - 5- प्रत्येक महीने संस्थान को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे तथा रिपोर्ट कि एक प्रति संस्थान एवं प्रांतीय कार्यालय लखनऊ को भेजेंगे।
 - 6- उत्तर प्रदेश में समन्वयता/मान्यता सम्बन्धी औपचारिकता शिक्षण संस्थानों से पूरा करावेंगे।
 - 7- समन्वयता/मान्यता स्वयं नहीं प्रदान करेंगे अपितु केन्द्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ
 - 8- प्रान्त में सभी समन्वयकों की प्रत्येक माह में एक मीटिंग बुलायेंगे व प्रान्त के कार्यालयों का समय समय पर निरीक्षण भी करेंगे।
 - 9- मीटिंग व निरीक्षण की रिपोर्ट लखनऊ कार्यालय में जमा करावेंगे।
 - 10- अपने राज्य से सम्बन्धित बोर्डों के परीक्षा फार्म/परीक्षा शुल्क संस्थान के कार्यालय लखनऊ में जमा करावेंगे।
 - 11- परीक्षा शुल्क की रसीद प्रत्येक परीक्षाधियों को संस्थान कार्यालय से दिलवावेंगे।
 - 12- परीक्षा केन्द्र बनाने हेतु सक्षम विद्यालयों की सूची संस्थान कार्यालय को देंगे।
 - 13- संस्थान द्वारा आपको निर्धारित मानदंड मत्ता दिया जावेगा।
 - 14- अनियमित कार्यों के प्रति आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
 - 15- अनियमितता पाये जाने पर आपको समन्वयक (कोर्डिनेटर) पद से हटा दिया जाएगा और विधिक कार्यवाही भी की जा सकती है।
 - 16- यदि आपको आपके पद से हटाया जाये वा आपकी सेवा समाप्त कर दी जाये तो आप संस्थान अधिकारियों के विरुद्ध न्यायपालिका में नहीं जावेंगे जो भी अपील करनी होगी बोर्ड में ही करनी होगी।
- उक्त दिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए आपको बोर्ड के महाराष्ट्र राज्य का समन्वयक (कोर्डिनेटर) पद पर अग्रिम तीन वर्षों के लिए अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।
- चेयरमैन के निर्देशानुसार आपको उक्त नियुक्ति पत्र दिया जाता है।

J. Gaur

केन्द्रीय-मुक्त विद्यालयी

सचिव/सहायक सचिव (प्रशासनिक)

(केन्द्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, लखनऊ)

ए.एस.एस. पुणे, हुसैनगंज, लखनऊ-22600

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनाार्थ

- 1 प्रमुख सचिव शिक्षण मन्त्रालय महाराष्ट्र शासन मुम्बई।
- 2 सचिव महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मण्डल, पुणे।
- 3 जिला शिक्षणधिकारी जिला अरिषद पुणे।